2025/222

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16/2025 (राजसमन्द आर्डर)

गोवर्धनलाल पिता मोहन जी कुमावत, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. हगामी पत्नि प्रभुलाल जी कुमावत, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. भँवरलाल पिता डालू जी कुमावत, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 30–05–2025 प्र.सं. 15/25

––––::––––

उपस्थित :– 1– श्री शेषमल गाडरी अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री एस.एल.लड्डा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1

––––::––––

निर्णय **दिनांक 26–12–2025**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थीया के खातेदारी की ग्राम एमडी में स्थित आराजी नम्बर 1328 रकबा 0.8175 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 2 की आराजी नम्बर 1331 रकबा [illegible]04 हैक्टेयर एवं विपक्षी संख्या 1 की आराजी नम्बर 1332 रकबा 0.2016 हैक्टेयर भूमि में से 15 फिट चौड़ा रास्ता चाहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested

2. अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील राजसमन्द से रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 30.05.2025 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल.लड्डा उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने मीमों ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को जवाब आपत्ति हेतु नियत थी, लेकिन उक्त दिनांक को पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई मौका पर्चा रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति नही मिलने से जवाब पेश नही हो सका, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विपक्षीगण को सुने उक्त निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने पर्चा मौका दिनांक 12.03.2025 को आधार बनाकर निर्णय पारित कर दिया जो विधि सम्मत नही है, जबकि मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 9.05.2025 में प्रार्थीया अपनी भूमि में पूर्व से उसके विक्रेता पूर्वाधिकारी द्वारा सदीप से रास्ता होने का अंकन है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है तथा अपीलान्ट को बिना सुने उक्त निर्णय पारित किया कर दिया है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर.बी.जे.(24) 2017 पेज 24 प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्ययन किया। तहसीलदार राजसमन्द मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 1331, 1332 में से जो रास्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी नम्बर 1328 में पहुंचने हेतु प्रस्तावित किया गया है उसकी दूरी 100 मीटर है, जबकि अपीलान्ट द्वारा जो रास्ता बताया गया है उनकी दूरी क्रमशः 192 मीटर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

व 268 मीटर है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने न्यूनतम दूरी का रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है, जो उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं संलग्न नजरी नक्शे अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

7. अतः अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.05.2025 यथावत् रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

26.12.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:12:11 IST
Reason: SelfAttested